भोपाल में जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा दिया जाना

1421. श्री राजदजी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भोपाल को जल-खेल प्रतियोगिताओं के एक केन्द्र के रूप में विकसित करने के संबंध में कोई योजना बनाई है ;

(ख) किन-किन जल-खेलों के लिए किन-किन स्थानों पर आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध है, जिनका इस समय उपयोग किया जाता है ; और

(ग) ऐसे स्थानों की सूची में भोपाल को कब तक शामिल किया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जल-क्रीड़ा केन्द्रों सहित पर्यटन का विकास करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है । केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों पर पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सहायता प्रदान करता है ।

जल-क्रीड़ा कार्यकलापों के विकास हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्रमश: 60 लाख रुपए और 41 लाख रुपए की राशि अवमुक्त की गई थी ।

(ग) मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित स्कीमें स्वीकृत की गई हैं तथा अवमुक्त किए गए धन के आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	वर्ष
1. अपर लेक, भोपाल हेतु जलक्रीड़ा उपकरण	10.09	5.00	1990-91
2. तिगड़ा बांध और तरबर, ग्वालियर हेतु जल-क्रीड़ा उपकरण	11.20	5.50	1990-91
3. तावा बांध हेतु जल-क्रीड़ा उपकरण और टैंटों में आवास	13.61	3.40	1991-92

Review of Army Act

1422. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the full bench decision of Delhi High Court, given on July 8, 1994, to the effect that the termination policy of the Army under Section 18 of the Army Act is invalid, holding that orders of dismissal passed, thereunder are subject to judicial review;

(b) whether the Court also held that the Army Act should no longer be considered as holy-cow; and